स्वीकृति शक्ति– (15 हार्स पावर) अश्व शक्ति
स्वीकृति संख्या–5625 /वि0वि0ख0बाह
स्वीकृति विधा– निजी नलकूप दिनांक– 06.10.2023
प्रक्रमण शुल्क रू0 100 रसीद संख्या–1008330470 दिनांक–06.10.2023

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
विद्युत वितरण खण्ड रजिस्टर्ड
बाह (आगरा) सशर्त/सामान्य/पूर्ण जमा योजना

पं. संख्या 5963 / वि.वि.ख.बाह / दिनांक 26/10/2023

श्रीमती मोहन देवी पत्नी श्री राधेश्याम
ग्राम– क्रांतिनगर पोस्ट–जरार ब्लाक बाह तहसील– बाह जिला–आगरा।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत विद्युत शक्ति से सम्बन्धित व्यय का लेखा-जोखा इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है। आपको संयोजन पूर्ण जमा योजना योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की स्वीकृति व पालन करने की अवस्था में दिया जायेगा।

1. आप अनुबन्ध करने की तिथि को निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में जमा कर दें।

(1) जमानत की धनराशि	रू0 4500.00
(2) सर्विस कनेक्शन की धनराशि	रू0 –
(3) फिक्स्ड चार्जेज की धनराशि	रू0 4957.00
(4) सिस्टम लोडिंग चार्जेज	रू0 –
(5) अन्य चार्जेज (यदि हों)	रू0 –
(6) अन्य धनराशि	रू0 99875.00

कुल योग रू0 1,09,332.00

(रूपया शब्दों में एक लाख नो हजार तीन सौ बत्तीस मात्र)

1. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 40 मी0 एच0टी0 लाइन एवं 25केवीए उपसंस्थान पडने के कारण रू0 99875.00 का धनजमा किसी भी परिस्थिति में वापिस नही किया जायेगा।
2. मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष "0043–102" बिजली पर कर एवं शुल्क भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत रू0 1175.00/ जमा करना होगा। चालान प्रति प्रस्तुत करनी है।
3. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33केवी विद्युत उपसंस्थान से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी। सामान ढुलाई के साथ निगम का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।

4. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33केवी विद्युत उपसंस्थान से अपना ... की ढुलाई करनी होगी। सामान ढुलाई के साथ निगम का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) ... शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।

5. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना ... उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

6. कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पडेगी उसका ... प्रबन्ध करना पडेगा।

नोटः– 1. आपको अपने कनेक्शन के साथ आई.एस.आई. मार्का शन्ट कैपिस्टर (जी.एस.टी. बिल सहित) लगाना अनिवार्य होगा।
2. केबिल उपभोक्ता स्वयं उपलब्ध करायेगा।
3. उपभोक्ता को समय–समय पर निगम द्वारा दिये निर्देशों का पालन करना होगा।

नोटः–

1. सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा एंगिल पोल तथा स्टे के लिए ... जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति खम्भा–सीमेंट 06 बोरी, बालू 03 घन फीट, मिट्टी (ब्रिक ब्लास्ट) 06 घन फीट, प्रति स्टे–सीमेंट 03 बोरी, 15 घन फीट, मिट्टी (ब्रिक ब्लास्ट) 03 घन फीट।
(अ) एच.टी./एल.टी. लाइन हेतु– 80 मैनडेज प्रति किलो मीटर
(ब) सब–स्टेशन–40 मैनडेज प्रति सब स्टेशन

2. आपको कार्य करने लिए .... मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखी शर्ते मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से दोपहर 01 बजे तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधार कर एग्रीमेन्ट हस्ताक्षर करें।
(अ) नान जुडीशियल 100रू0 का जनरल स्टाम्प तथा एक रूपये का रसीदी टिकट (Revenue Stamp) साथ लावें।
(ब) आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा। ऊपर लिखी सब राशि जमा करने के पश्चात् जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज की रसीद और बी. एण्ड एल फार्म और मीटर डिक्लेरेशन फार्म (मीटर मुआइना के ट्रेजरी चालान सहित) अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उसकी रसीदें प्राप्त कर लें।

यदि आप उपरोक्त शर्ते 30 दिन तक पूरा नही करते है तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नही है। प्रभार स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता

प. संख्या............................/वि.वि.ख.बाह /   दिनांक.......................................

प्रतिलिपिः–

1. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड.......................................
2. हैड कैशियर वि.वि.ख.बाह को इस आशय के साथ कि भुगतान की सूचना संगणक को देने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता